राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा: सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22

संदर्भ: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा: सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021-22 जारी किया है, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई की पहली रिपोर्ट है।

- इसमें वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 तक पिछले छह वर्षों का डेटा शामिल है, जिसमें प्रमुख अंतिम-उपयोग क्षेत्रों में ईंधन-वार ऊर्जा खपत का विश्लेषण किया गया है।
- रिपोर्ट ऊर्जा संरक्षण नीतियों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना और मौद्रिक बचत करना शामिल है।
- ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नीति आयोग, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, संस्थानों और हितधारकों के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की।
- रिपोर्ट सूक्ष्मतम स्तर पर ईंधन-वार ऊर्जा खपत डेटा प्रदान करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों और उपभोक्ता समूहों में ऊर्जा प्रोफाइल की व्यापक समझ को सक्षम बनाता है।
- कोयले के कैलोरी मानों के आधार पर अलग-अलग रूपांतरण कारकों को शामिल करके, रिपोर्ट घरेलू और आयातित कोयले के बीच अंतर करते हुए, कोयला आधारित ऊर्जा आपूर्ति एवं खपत की एक सटीक तस्वीर पेश करती है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट सभी कोयला ग्रेडों के लिए एकल प्रतिनिधि जीसीवी (Gross Calorific Value) को नियोजित करने की पुरानी प्रथा से इतर यह रिपोर्ट कोयला रूपांतरण कारकों को प्राप्त करने के लिए भारित औसत पद्धति का उपयोग करते हुए एक परिष्कृत दृष्टिकोण प्रदान करती है।

नवीन अन्तर्दृष्टि:

- महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिपोर्ट पिछले छह वर्षों में अर्थव्यवस्था में वास्तविक ऊर्जा आपूर्ति में 18% की कमी को उजागर करती है, जिसके लिए पहले से नियोजित IEA मानकों के बजाय स्वदेशी कोयला रूपांतरण कारकों के उपयोग में असमानता को जिम्मेदार बताया गया है।
- विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा खपत पूर्व के अनुमानों से हटकर 8% कम हो गई है।
- रिपोर्ट में विद्युतीकरण की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो कुल ऊर्जा खपत के 20.9% हिस्से में महत्वपूर्ण योगदान देता है, साथ ही एक पसंदीदा ऊर्जा स्रोत के रूप में विद्युत ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भारत सरकार की एक एजेंसी है, जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत मार्च 2002 में स्थापित किया गया था।
- इस अधिनियम में नामित उपभोक्ताओं, उपकरणों के मानक एवं लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, संस्थागत प्रणाली (बीईई) का निर्माण और ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना से संबंधित पांच प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।
- बीईई का मुख्य कार्य भारत में ऊर्जा संरक्षण और कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम विकसित एवं संचालित करना है।
- सरकार ने भारत में कुछ उपकरणों के लिए जनवरी 2010 से बीईई द्वारा अनिवार्य उपकरण रेटिंग को लागू किया है।
- इन पहलों का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।
- बीईई का मिशन ऊर्जा दक्षता सेवाओं को संस्थागत बनाना, वितरण तंत्र स्थापित करना और देश के सभी क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
- बीईई रेटिंग के अधीन अनिवार्य उपकरणों की सूची में निम्न शामिल हैं:
  - फ्रॉस्ट फ्री (नो-फ्रॉस्ट) रेफ्रिजरेटर

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप
- घरेलू एयर कंडीशनर
- वितरण ट्रांसफार्मर
- रंगीन टेलीविज़न
- डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
- इलेक्ट्रिक गीजर

विमुक्त जनजातियाँ

संदर्भ: खानाबदोश जीवनशैली एवं आवासीय प्रमाण की अनुपलब्धता के कारण सीमित मतदाता पंजीकरण के बावजूद, राजस्थान सरकार विधानसभा चुनाव से पहले विमुक्त जनजातियों के लिए एक नीति तैयार कर रही है।

विमुक्त जनजातियाँ क्या हैं?

- ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसे कानूनों में विमुक्त जनजातियों (Denotified tribes- DNTs) को "जन्मजात अपराधी" माना जाता था।
- वर्ष 1952 में, भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात्, DNTs को डिनोटिफाइड कर दिया गया, लेकिन 1952 का अभ्यासिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया।
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय वे हैं जिनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं होता और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी)

- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और 2005 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- बालकृष्ण सिदराम रेन्के के नेतृत्व में, एनसीडीएनटी ने 2001 की जनगणना के आधार पर इन जनजातियों की आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।
- वर्ष 2014 में, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की राज्य-वार सूची बनाने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया था।
- इस आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की श्रेणी में आने वाले 1,262 समुदायों की पहचान की गई।
- इस आयोग ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की सिफारिश की।
- इसके बावजूद, सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 2019 में, भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) का गठन किया।
- DWBDNC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इन समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- नीति आयोग ने विमुक्त समुदायों की पहचान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समिति की स्थापना की है।
- भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों पर नृवंशविज्ञान अध्ययन कर रहा है।

इन समुदायों की समस्याएँ

इन समुदायों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा से हाशिए पर जाना एवं बहिष्करण,
- निम्न मानव विकास सूचकांक और उच्च सापेक्ष अभाव सूचकांक,
- नियोजित विकास के लाभों तक सीमित पहुंच,
- सशक्तिकरण का अभाव तथा
- सामाजिक कलंक का बोझ ढोना।

संबंधित समितियाँ एवं आयोग

- 1947 में आपराधिक जनजाति जाँच समिति
- 1949 में अनंतशयनम अय्यंगार समिति
- 1953 में काका कालेलकर आयोग
- 1965 में बी. एन. लोकुर की सलाहकार समिति
- 1980 में बी. पी. मंडल आयोग
- 2000 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया ने की

आर्टेमिस समझौता

संदर्भ: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- "आर्टेमिस समझौते" पर हस्ताक्षर और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त भारत-अमेरिका मिशन द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध करेगा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र को गति प्रदान करेगा।
- आर्टेमिस समझौता सिद्धांतों, दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से अमेरिका और अन्य देशों के साथ एक साझा दृष्टिकोण स्थापित करता है।
- भारत और अमेरिका 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु एक संयुक्त मिशन के लिए एक रूपरेखा विकसित करेंगे।
- वर्ष 2025 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन हेतु इसरो की नासा के साथ सहयोग करने की संभावना है।
- नासा 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास के लक्ष्य के साथ ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- इसरो और इसकी वाणिज्यिक शाखाओं ने पीएसएलवी के जरिए 34 देशों के 385 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

आर्टेमिस समझौता क्या है?

- आर्टेमिस समझौता 21वीं सदी में सिविल अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए गैर-बाध्यकारी सिद्धांतों का एक सेट है।
- इन सिद्धांतों का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की सुरक्षा और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है।
- नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने आठ संस्थापक सदस्य देशों के साथ 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की।
- 30 मई, 2023 तक, आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, इज़राइल, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- यह समझौता अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

- इस समझौते के प्रमुख सिद्धांत:
  - शांतिपूर्ण उद्देश्य
  - पारदर्शिता
  - अंतरसंचालनीयता
  - आपातकालीन सहायता
  - अंतरिक्ष संबंधी वस्तुओं का पंजीकरण
  - वैज्ञानिक डेटा जारी करना
  - विरासत का संरक्षण
  - अंतरिक्ष संसाधन
  - कक्षीय मलबा एवं अंतरिक्ष यान निपटान

नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम

- नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर पहुँचाना है।
- इसमें चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को पहुँचाने का मिशन शामिल है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अन्वेषण में सहयोग देना और आर्थिक लाभ उत्पन्न करना है।
- इसका एक प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की नई पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें इसमें संलग्न करना है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन

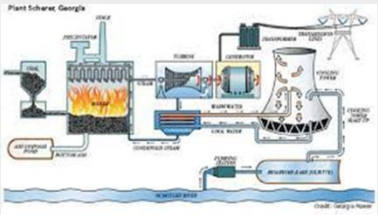

संदर्भ: हाल ही में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि भारत का कोयला आधारित तापीय उर्जा उत्पादन क्षेत्र सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है।

मुख्य पहलू:

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने थर्मल पावर प्लांटों के लिए अपने उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एफजीडी सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।
- हालाँकि, अप्रैल 2023 तक, भारत में स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमताओं में से केवल 5% में ही एफजीडी सिस्टम मौजूद था।
- नवीन शुरू की गई 32.63 गीगावॉट क्षमता में से केवल 0.81 गीगावॉट ही मानदंडों के अनुरूप पाई गई है।

भारत का कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन

भारत का कोयला-आधारित ताप विद्युत उत्पादन प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करके बिजली के उत्पादन को संदर्भित करता है। यह भारत के ऊर्जा संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है और देश की बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्षेत्रीय विविधताएँ

- पूर्वी भारत में निराशाजनक परिणाम देखे गए हैं, कोई भी संयंत्र SO2 उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया है।
- मानदंडों का अनुपालन करने वाली तापीय विद्युत क्षमता महाराष्ट्र में सबसे अधिक थी, इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु का स्थान है।

अनुपालन अनुमान

सीएसई की टीम ने अनुपालन चरण और अवधि के आधार पर कोयला बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की संभावना का अनुमान लगाया है। दिल्ली-एनसीआर या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों द्वारा लगभग 57% क्षमता की समय सीमा को पूरा करने की उम्मीद है, जबकि गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में 11% के अनुपालन की भी संभावना नहीं है।

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: हाल ही में, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान (जीएनपी) ने भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को लगभग 50 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान:

- इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, उत्तराखंड में स्थित है।
- यह भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र तक फैला है और गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख को शामिल करता है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है।
- यह उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी):

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की स्थापना 1962 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2019 में गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स के ITBP में विलय का प्रस्ताव रखा था।

निर्णय का महत्त्व:

- गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से सेना और आईटीबीपी को भूमि का आवंटन इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है, खासकर सीमा सुरक्षा के संदर्भ में।
- यह पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बीच सहयोग पर प्रकाश डालता है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के बीच संतुलन बनाता है।

निमेसुलाइड औषधि

संदर्भ: हाल ही में, गिद्ध संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों ने पशु चिकित्सा दवाओं एसेक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, जो गिद्धों के लिए घातक हैं।

निमेसुलाइड दवा क्या है?

- निमेसुलाइड एक गैर-स्टेरायडल सूजन रोधी दवा (एनएसएआईडी) है, जिसका उपयोग आमतौर पर दर्द से राहत और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है।
- यह चयनात्मक COX-2 अवरोधकों के वर्ग से संबंधित है। भारत में निमेसुलाइड के उपयोग ने गिद्धों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता उत्पन्न की है।

मुख्य बिंदु:

- 2006 में डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध के बाद से एसेक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध गिद्ध संरक्षण की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने भारत में पाई जाने वाली गिद्ध की तीन प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है।
- गिद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं और उनका संरक्षण एक गंभीर चिंता का विषय है।
- पशु चिकित्सा में उपयोग के लिए एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने का औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का निर्णय एक सकारात्मक कदम है।
- केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक गिद्धों के लिए डिक्लोफेनाक के समान ही जहरीले हैं और इससे उनकी मृत्यु हो सकती है।
- गिद्धों के लिए हानिकारक एक अन्य दवा निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाने की मांग जारी है।
- विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर भारत ऐसे खतरों के प्रति संवेदनशील हैं और इससे प्रवासी गिद्धों के भी प्रभावित होने की सभावना है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध

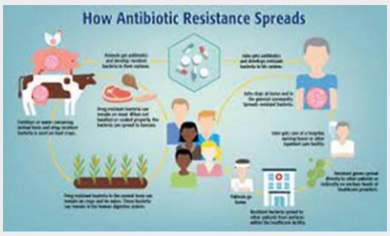

प्रसंग: हाल ही में, यह पाया गया है कि कम आय वाले देशों में नवजात संक्रमण की दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में तीन से 20 गुना अधिक है, जो विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

क्लेबसिएला निमोनिया की व्यापकता:

क्लेबसिएला निमोनिया संक्रमण, एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो मनुष्यों में विभिन्न संक्रमणों का कारण बन सकता है, इसकी व्यापकता प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 4.1 से 6.3 तक होती है। इस संक्रमण से जुड़ी मृत्यु दर 18% से 68% तक है।

उच्च मृत्यु दर:

अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं में कार्बापेनम-प्रतिरोधी क्लेबसिएला निमोनिया संक्रमण का वैश्विक प्रसार उच्च है, जिसमें 22.9% की मृत्यु दर है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

	नवजात शिशुओं में रोगाणुरोधी प्रतिरोध: बढ़ती रोगाणुरोधी प्रतिरोध निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नवजात शिशुओं और युवा शिशुओं को सेप्सिस से प्रभावित कर रहा है। इन संक्रमणों के इलाज में डब्ल्यूएचओ-अनुशंसित एंटीबायोटिक्स अप्रभावी हो रहे हैं। **रोगज़नक़ और प्रतिरोध:** क्लेबसिएला निमोनिया और एसिनेटोबैक्टर एसपीपी जैसे रोगजनक। WHO-अनुशंसित नियमों के प्रति प्रतिरोधी हैं। ये बैक्टीरिया कार्बापेनेम्स के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिरोध दिखाते हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। **WHO दिशानिर्देशों से विचलन:** नवजात सेप्सिस में उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक आहार अक्सर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों से भिन्न होते हैं। अनुचित नुस्खे एवं प्रथाएं रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास में योगदान करती हैं।
समाचार में स्थान 	**कलासा बंदूरी परियोजना** **प्रसंग:** कर्नाटक में महादयी नदी पर निर्माणाधीन कलासा बंदूरी परियोजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वन और पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निविदाएं जारी की गईं। **भौगोलिक स्थिति:** कलासा बंदूरी परियोजना मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में महादयी नदी पर स्थित है। यह नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों से होकर बहती है। **महादायी नदी:** महादयी नदी, जिसे मांडोवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बेलगाम जिले के पश्चिमी घाट में झरनों से निकलती है। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। **परियोजना का उद्देश्य:** इस परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक में बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए महादयी नदी से पानी को मोड़ना है। इसमें कलसा और बंदूरी धाराओं पर बैराज का निर्माण शामिल है, जो महादयी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। डायवर्टेड पानी से कर्नाटक के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को राहत मिलेगी, जो अक्सर शुष्क मौसम के दौरान गंभीर रूप से पानी की कमी का सामना करते हैं।